न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर:– 20/2022
निर्णय दिनांक:– 31.10.2025
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. गोपाल देवी पुत्री स्व. रामेश्वर जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज.।

वादीया

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री सीताराम सैनी अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय · दिनांक:–31.10.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 318 के आराजी खसरा नम्बर 470 रकबा 1.5933 हैक्ट, 475 रकबा 0.4173 हैक्ट, 613 रकबा 1.0116 हैक्ट, 6494 रकबा 0.4299 हैक्ट, 894 रकबा 0.9357 हैक्ट, कुल किता 5 कुल रकबा 4.3878 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम, तह. फागी, जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादीया राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराती चली आ रही है। विवादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीया के पिता स्व. रामेश्वर के नाम दर्ज है। उक्त आराजी स्व. रामेश्वर की खातेदारी भूमि है। रामेश्वर का देहान्त हो चुका है लेकिन वादीया का नाम गोपाल देवी है लेकिन राजस्व रिकार्ड में गोपाली देवी पुत्री रामेश्वर दर्ज गलत हो गया इसलिए उक्त राजस्व रिकार्ड में गोपाली पुत्री रामेश्वर के स्थान पर गोपाल देवी पुत्री रामेश्वर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। गोपाली पुत्री रामेश्वर व गोपाल देवी पुत्री रामेश्वर, जाति बारागांव ब्राह्मण, निवासी फागी, तह. फागी में एक ही महिला है। इस नाम के अलावा इस नाम की अन्य कोई महिला व्यक्ति ग्राम फागी में नहीं है, बल्कि वादीया का मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड एवं ग्राम पंचायत प्रमाण–पत्र में वादीया का नाम गोपाल देवी पुत्री रामेश्वर दर्ज है जिससे पूर्णतया सिद्ध होता है कि वादीया का नाम गोपाल देवी पुत्री रामेश्वर सही है इसलिये वादीया का नाम गोपाली की जगह गोपाल देवी राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये वादीया उक्त आराजीयात की घोषणा करवाने एवं दुरस्ती इन्द्राज करवाने की कानूनन अधिकारी है। वादीया ने

उपखण्ड अधिकारी फागी

उक्त आराजीयात को काफी पैसा खर्च कर समतल व उपजाऊ बना लिया है उक्त आराजीयात की वादीया हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत रामेश्वर की विधिक वारिसान होने से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं शान्ति पूर्वक काबिज काश्त चली आ रही है लेकिन राजकीय कर्मचारीयों के सहवन से एवं वादीया के अनपढ़ व भोले होने से उक्त सही नाम की जानकारी नहीं हुई एवं वादीया को गोपाली एवं गोपाल देवी के नाम से पुकारते थे इसलिये दोनों ही नामों से उक्त आराजी में नाम भी अलग—अलग हो गये जबकि वादीया का नाम गोपाल देवी सही है जिसका राजस्व रिकार्ड में वादीया अपना नाम गोपाल देवी पुत्री रामेश्वर दुरुस्त करवाने की कानूनन अधिकारी है। अभी हाल ही में दिनांक 24.02 2022 को वादीया ने अपनी खातेदारी भूमि का किसान कार्ड बनवाने के लिये पटवारी हल्का से नकले प्राप्त करने पर अपने नाम की जानकारी हुई पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि आपका नाम रिकार्ड में गोपाली पुत्र रामेश्वर है जबकि सही नाम गोपाल देवी पुत्री रामेश्वर है जिसको सक्षम न्यायालय में आदेश करवाने बाबत् कहा गया इसलिये मान्य न्यायालय में वादीया द्वारा उक्त वाद घोषणा व दुरस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीया का वाद कारण दिनांक 24.02.2022 को पटवारी हल्का द्वारा सक्षम न्यायालय में दावा पेश करने व बैंक द्वारा लोन नही देने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। वादीया का वाद अंदर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी को लेण्ड होल्डर होने से एवं दावा दुरस्ती इन्द्राज का होने से पक्षकार कायम किया गया है। पक्षकारान का निवास स्थान व विवादित आराजीयात् मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा अपना जवाब पेश किया। अपने जवाब के तथ्यो में बताया कि वर्तमान जमाबंदी संवत 2072—75 ग्राम फागी पश्चिम के आराजी खसरा नं0 470, 475, 613 व 6494 में प्रार्थीया का नाम दर्ज रिकॉर्ड नहीं है केवल ख0नं0 894 में प्रार्थीया का नाम दर्ज है। गोपाली देवी पुत्री रामेश्वर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जबकि वास्तविक नाम गोपाल देवी पुत्री रामेश्वर है। पटवार हल्का फागी पश्चिम से प्राप्त फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 17.10.2025 के अनुसार उक्त खसरों में प्रार्थीया के नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादीया ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादीया का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादीया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072—2075 वाके ग्राम फागी पश्चिम मे स्थित है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट केवल विवादग्रस्त आराजी खाता सं. 318 में वर्णित खसरा सं. 894 में वादीया का नाम गोपाली पुत्री रामेश्वर हिस्सा 1/5 जाति बारागांव सा. देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 01 पैरोकार सरकार ने उक्त वाद को डिक्री किये जाने पर

कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड उपर्युक्त तथ्यों के आलोक मे न्यायालय वादीया का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं0 318 के आराजी खसरा नम्बर 470 रकबा 1.5933 हैक्ट, 475 रकबा 0.4173 हैक्ट, 613 रकबा 1.0116 हैक्ट, 6494 रकबा 0.4299 हैक्ट, 894 रकबा 0.9357 हैक्ट, कुल किता 5 कुल रकबा 4.3878 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन गोपाली देवी पुत्री रामेश्वर के स्थान पर गोपाल देवी पुत्री रामेश्वर दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

गोपाल देवी बनाम तहसीलदार
मु0न0:– 20/2022
निर्णय दिनांक:– 31.10.2025

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)
बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1 गोपाल देवी पुत्री स्व. रामेश्वर जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज.।

वादीया

बनाम

1 तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादी

–:: वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु0न0:– 20/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री सीताराम सैनी हाजिर रूबरू प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं0 318 के आराजी खसरा नम्बर 470 रकबा 1.5933 हैक्ट, 475 रकबा 0.4173 हैक्ट, 613 रकबा 1.0116 हैक्ट, 6494 रकबा 0.4299 हैक्ट, 894 रकबा 0.9357 हैक्ट, कुल किता 5 कुल रकबा 4.3878 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन गोपाली देवी पुत्री रामेश्वर के स्थान पर गोपाल देवी पुत्री रामेश्वर दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा।

निज..............................मुबलिग..................................बाबत..खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....फीसदी..........................सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.10.2025 को जारी की गई।

दस्तखत.............. उपखण्ड अधिकारी
ओहदा.............. फागी

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

31/X/25

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर